

पैरोकार हे0का0 अभमन गौतम

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना कम्पिल

दि०-21.11.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त वीरसिंह पुत्र रामभरोसे निवासी भीमनगर थाना कम्पिल जिला फर्रुखाबाद मु०अ०स०- 79/2022 वाद संख्या 86/2022 धारा 363,366,376 भा०द०वि० व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहररि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **मा० न्यायालय पाक्सो प्रथम कोर्ट द्वारा दिनांक 21.11.2025 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 20 वर्ष का साधारण कारावास की सजा व 13,000 रुपये अर्थदण्ड से वण्डित किया गया।**



एडीजीसी- श्री विकास कटियार



को० मो० म०का० चांदनी



पैरोकार हे०का० अमन गौतम